(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 164 / 2020

बउनवान

1. भंवरलाल पुत्र काना जाति मीना निवासी बालापुरा तहसील छबडा जिला बारॉ
2. मेघराज पुत्र छाबू जाति मीना निवासी बालापुरा तहसील छबडा जिला बारॉ
3. राजकुमार पुत्र छाबू जाति मीना निवासी बालापुरा तहसील छबडा जिला बारॉ
4. सुरेश पुत्र छाबू जाति मीना निवासी बालापुरा तहसील छबडा जिला बारॉ

(अपीलांटगण)

बनाम

1. मांगीबाई पत्नि स्व. मदनलाल जाति धोबी निवासी निपानिया तहसील छबडा
2. बृजमोहन पुत्र स्व. मदनलाल जाति धोबी निवासी निपानिया तहसील छबडा
3. राजेन्द्र पुत्र स्व. मदनलाल जाति धोबी निवासी निपानिया तहसील छबडा
4. विनोद पुत्र स्व. मदनलाल जाति धोबी निवासी निपानिया तहसील छबडा
5. रामजीवन पुत्र स्व. मदनलाल जाति धोबी निवासी निपानिया तहसील छबडा
6. दीपक पुत्र स्व. मदनलाल जाति धोबी निवासी निपानिया तहसील छबडा
7. बनास बाई पुत्री स्व. मदनलाल जाति धोबी निवासी निपानिया तहसील छबडा
8. छोटी बाई पुत्री स्व. मदनलाल जाति धोबी निवासी निपानिया तहसील छबडा
9. सीमा बाई पुत्री स्व. मदनलाल जाति धोबी निवासी निपानिया तहसील छबडा

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या :–राजस्व / धारा 183(बी) / 2020 / 2137–41 में पारित आदेश / निर्णय दिनांक 02.07.2020 की अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री राजेश कुमार गुप्ता अभिभाषक (अपीलांट)
2– श्री कृष्ण गोपाल भार्गव अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 15.11.2021

अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अपील इस न्यायालय मे तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या :–राजस्व / धारा183(बी) / 2020 / 2137–41 में पारित आदेश / निर्णय दिनांक 02.07.2020 की अपील अन्तर्गत धारा 225 आ.टी. एक्ट के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के प्रस्तुत की गई।

इस पर प्रस्तुत अपील को दिनांक 13.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक उपस्थिति दी गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस उभयपक्ष के अभिभाषक की सुनी गई।

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा मौखिक बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलाट क्रम 1 [illegible] पिता स्वर्गीय छाबूलाल के द्वारा ग्राम निपानिया तहसील छबडा जिला बारॉ [illegible] नम्बर 571 की रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा सन् 1981 मे दिनांक 25.05.1981 को खरीद की गई थी। तब से ही उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा निर्बाद रूप से निरन्तर आज दिन तक चला आ रहा है। उक्त भूमि अनुसूचित जाति की थी जिसे अनुसूचित जाति के व्यक्यिों के द्वारा अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा बेचान किया गया। जिस पर वक्त खरीद से ही अपीलांट का कब्जा आज दिन तक चला आ रहा है। उक्त भूमि के सम्बन्ध मे रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय उप जिला कलेक्टर छबडा के यहा कब्जा प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया जो दावा डिक्री होने पर अपीलांट द्वारा उसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:48:36 IST
Reason: SelfAttested

बारॉ छबडा के समक्ष प्रस्तुत की गई जहा से रेस्पोडेन्ट की सक्षम न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री वास्ते कब्जा प्राप्त करने निरस्त कर दी गई उसके बाद राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रकरण को उप जिला कलक्टर छबडा के यहा रिमाण्ड किया गया व प्रकरण को विधीवत रूप से निस्तारित करने के निर्देश दिये गये, उसके पश्चात तथाकथित 183 बी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत वाद रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो सक्षम न्यायालय मे वाद विचारणीय होने से द्वितीय वाद विचारणीय मेन्टेनेबल नही था तथा अपीलाधीन निर्णय से सन 1981 से आज दिन तक पिछले 40 वर्षो से कब्जा अपीलांट का अपीलाधीन निर्णय से साबित है जो वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अवधि बाधित था व चलने योग्य नही होते हुए भी समस्त नियमों व कानूनों की अवहेलना करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट का वाद डिक्री कर अपीलांट को बेदखल करके रेस्पोडेन्ट को कब्जा दिलाया जाने व पेलेन्टी दिये जाने का निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है।

प्रकरण मे सूचना एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बगैर कानूनी प्रावधानों व नियमों के विपरीत अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय पारित किया गया। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे यह कथन किया गया है कि विवादित भूमि अपीलांट को बेचान कर कब्जा सम्भला दिया गया था और उसका विक्रय पत्र भी पंजीयन कर दिया गया था, तत्कालीन उप पंजीयक द्वारा विक्रय पत्र निरस्त कर दिया गया। इसके संबंध मे तथ्य इस प्रकार है कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय को पूर्ण रूप से जानकारी नही है कि विक्रय पत्र कानूनी रूप से प्रभाव शून्य हो सकता है परन्तु विक्रय पत्र एक बार पंजीयन हो जाने की सूरत मे उसे निरस्त करने का पावर एक मात्र सिविल न्यायालय को है जिसकी जानकारी के अभाव मे अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध मे सक्षम राजस्व न्यायालयों मे वाद विचाराधीन है तथा न्यायालय उप जिला कलक्टर छबडा के समक्ष राजस्व अपील अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से निर्णय पारित करने हेतु आदेश व निर्देश दिये गये है इसी दौरान रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन वाद प्रस्तुत किया है जो कानूनन किसी भी सूरत मे चलने योग्य नही था इसके संबंध मे राजस्व मण्डल अजमेर व उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त प्रतिपादित किये गया है।

प्रकरण मे वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के द्वारा जनरल व अन्य जातियों के व्यक्तियों के नाम अपने खाते की व्यक्तियों के नाम अपनी कृषि आराजी का हस्तान्तरण राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 42 के तहत नही किया जा सकता और अगर ऐसा बेचान किया जाता है तो वह कानूनन अवैध होगा इसमे वास्तविकता इस प्रकार होती है कि जिस व्यक्ति को विक्रय पत्र अन्य जाति अथवा जनरल व्यक्ति के नाम हस्तान्तरण करने का अधिकार प्राप्त नही है। परन्तु ऐसा हस्तान्तरण कर दिया गया उसकी स्थिती यह होती है कि विक्रय कर्ता द्वारा विक्रय की गई भूमि का प्रतिफल प्राप्त कर दिया गया और कब्जा क्रेता को सम्भला दिया गया यह कानूनी प्रकिया अवैध है इसके तहत क्रेता का कब्जा वैध न होने विधिवत माना जायेगा तथा विक्रय अवैध माना जावेगा ऐसी स्थिति मे विक्रय कर्ता के अधिकार समाप्त माने जायेगे। क्योकि उसके द्वारा कब्जा क्रेता को सम्भला दिया गया और उकस प्रतिफल भी प्राप्त कर लिया गया। अब कानूनन स्थिति यह आती है कि विक्रय कर्ता के द्वारा किया गया बेचान अवैध है ऐसी स्थिति मे राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 175 के तहत उक्त भूमि अवैध रूप से बेचान कर दी गई तो उसके लिए भूमिधारी माननीय अधीनस्थ न्यायालय धारा 175 आर.टी.एकट की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में करके भूमि को सिवायचक अर्थात राज्य सरकार के नाम दर्ज करवा सकते है। परन्तु इस सब तथ्यों पर गोर किये बगैर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:48:36 IST
Reason: SelfAttested

यह कि धारा 183 बी का वाद प्रस्तुत करने के लिए वादी प्रार्थी को किस तारीख व साल को उसे बेदखल किया गया और कब से उसकी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है इसके सम्बन्ध मे तारीख व समय बताया जाना आवश्यक है जबकि अपीलाधीन प्रकरण मे तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सन 1981 से लगातार आज दिन तक अपीलांट का कब्जा माना है और जो मौका कमीशनर रिपोर्ट से भी साबित है क्योंकि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी खाते की भूमि पर अतिक्रमण 12 वर्ष से अधिक है तो वह दावा अवधी बाधित अर्थात लिमिटेशन एक्ट के तहत चलने योग्य होगा अर्थात अवधी बाधित होगा। जिसके लिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अवधी बाधित होने व सक्षम न्यायालय मे वाद विचारणीय होने बाबत प्रार्थना पत्र भी पेश किये गये थे। परन्तु सब कानूनी तथ्यों पर गौर किये गबैर व अपीलांट को पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बगैर निर्णय पारित किया गया है। उक्त विवादित भूमि मे वर्तमान मे अपीलांट कि सोयाबीन की फसल खडी है जिसके फोटो चित्र अपील के साथ संलग्न है नियमानुसार अथवा कानूनन खडी फसल पर कब्जा फसल धारी को बेदखल करके नही दिलाया जा सकता जो कि सर्वोच्य न्यायालय का सिद्वान्त प्रतिपादित है तथा रेस्पोडेन्ट का किसी भी प्रकरण कोई हक व अधिकार विवादित भूमि के संबंध मे नही होते हुए भी उन्हे कब्जा दिलाये जाने का निर्णय गैर कानूनी है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2006(1) Nathu Ram & Ors. v/s State of Rajasthan & ors. 383 एवं आर.आर.टी. 2003(1) Surja Ram v/s Birbal Ram 383 एवं आर.आर.टी. 2003(1) Babu Singh v/s s State of Rajasthan प्रस्तुत कर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.07.2020 निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलांटगण द्वारा स्व0 छाबूलाल द्वारा भूमि खसरा नम्बर 571 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम निपानिया की सन 1981 में रजिस्टर्ड दस्तावेज से खरीदना बताया है। लेकिन दस्तावेज को देखने से पूर्णतया स्पष्ट है कि उसके अंतिम पेज पर रजिस्ट्री प्रस्तुत करने ही खारिज कर रखी है। इसलिए जब रजिस्ट्री हुई ही नही तो उसका इस अपील पर कोई असर मान्य नही है। यह कि अपीलांट द्वारा एक वाद न्यायालय एस.डी.ओ. छबडा मे पेश किया था, जो खारिज हो गया एवं रेस्पोडेन्टगण द्वारा डिक्लेरेशन मांगा गया था। जिसे स्वीकार कर लिया था। माननीय आर.ए.ए. कोटा द्वारा तनकी वाइज फैसला करने के लिए वापस एस.डी.ओ. मे भेज दिया। लेकिन उस वाद का इस अपील पर कोई असर नही होगा। क्योंकि यह घोषणा का दावा है और यह दावा रेस्पोडेन्टगण ने कब्जा लेने के लिए पेश किया था, जो तहसीलदार छबडा ने स्वीकार कर कब्जा देने के आदेश प्रदान कर दिए थे। प्रकरण मे अपीलांटगण ने तर्क उठाया है कि रेस्पोडेन्टगण द्वारा वाद पेश करने का कॉज आफ एक्शन नही लिखा है। लेकिन वाद को ध्यान से पढे तो स्पष्ट हो जाता है कि रेस्पोडेन्टगण ने लिखा है कि अपीलांटगण ने वाद पेश करने से एक माह पहले कब्जा किया है। प्रकरण मे अपीलांटगण द्वारा यह भी कहा गया है कि हमारा 40 वर्ष से कब्जा है लेकिन इनका कब्जा पहले कभी नही रहा। वाद पेश करने मे एक माह पहले कब्जा किया था, तब से इनका कब्जा है तथा अनुसूचित जाति की जमीन को किसी भी अन्य जाति के व्यक्ति के खाते नही बांधी जा सकती है, कानूनन बाध्य है। इसलिए अपील काबिल खारिज है। धारा 175 का वाद इसलिए नही चल सकता। क्योकि रजिस्ट्री तस्दीक नही हुई है। यह कि अनुसूचित जाति के सदस्य है ओर मांगीबाई बेवा है, जिसकी जमीन पर किसी का कब्जा माना नही जा सकता है तथा अन्य जाति का व्यक्ति न तो इसको खरीद सकता है और न ही रजिस्ट्री करा सकता है। इसलिए अपील काबिल खारिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:48:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण मे उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या :–राजस्व/धारा183(बी)/2020/2137–41 में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 02.07.2020 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट एवं सम्पूर्ण अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि प्रकरण मे अपीलांटस का कथन है कि अपीलांट क्रम 1 व 2,3,4 के पिता स्वर्गीय छाबूलाल के द्वारा ग्राम निपानिया तहसील छबडा जिला बारॉ की कृषि आराजी खसरा नम्बर 571 की रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा सन् 1981 मे दिनांक 25.05.1981 को खदीद की गई थी। तब से ही उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा निर्बाद रूप से निरन्तर आज दिन तक चला आ रहा है उक्त भूमि अनुसूचित जाति की थी, जिसे अनुसूचित जाति के व्यक्यिों के द्वारा अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा बेचान किया गया। जिस पर वक्त खरीद से ही अपीलांट का कब्जा आज दिन तक चला आ रहा है। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट का कथन है कि रजिस्ट्री तस्दीक नही हुई है। यह कि अनुसूचित जाति के सदस्य है ओर मांगीबाई बेवा है, जिसकी जमीन पर किसी का कब्जा माना नही जा सकता है तथा अन्य जाति का व्यक्ति न तो इसको खरीद सकता है और न ही रजिस्ट्री करा सकता है। प्रकरण मे उक्त विवादित आराजी वर्तमान मे रेस्पोडेन्टगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत अन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र होने से इस प्रकरण पर साबित नही होते। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण मे दिया गया आदेश उचित प्रतीत होता है, जिसमे यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझता है।

अतः परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या :–राजस्व/धारा 183(बी)/2020/2137–41 में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 02.07.2020 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:48:36 IST
Reason: SelfAttested